

प्रस्ताव पर वन मण्डलाधिकारी की अनुशंसा

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट-आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत परिक्षेत्र पश्चिम रायसेन के ग्राम खरबई स्थित ईको पर्यटन केन्द्र में चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु म०प्र० ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा 150 हेक्टेयर आवेदित वन क्षेत्र जिसमें कक्ष क्रमांक आर.एफ.-337 में 4.300 एवं आर.एफ.-338 में 3.050 कुल 7.350 हेक्टेयर में निर्माण कार्य इत्यादि तथा शेष बचे कक्ष क्रमांक आर.एफ.-337 में 115.700 हेक्टेयर एवं आर.एफ.-338 में 26.950 कुल 142.650 हेक्टेयर वृक्षारोपण आदि हेतु वन भूमि का चयन चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः म०प्र० ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल को उक्त प्रयोजन हेतु 150 हेक्टेयर आवेदित वन भूमि उपयोग करने की इस कार्यालय द्वारा अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि :- 26/03/2018
स्थान :- रायसेन


 नाम (राजेश कुमार खरे)
 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल रायसेन